24/01/23 महेन्द्र अमरजीत सिंह 2 ना सरवन सिंह	प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 7 ने न्यायालय मे उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया शामिल मिसल किया गया। व निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। दोनो पक्षो को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 06/02/2023 को पेश हो।
06/02/23	प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTA रिपोर्ट TDR KPR के आधार पर स्वीकार किया जाता है। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:31:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 08 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम अप्रार्थीगण
1. अमरजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 2. महेन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर।	1. अंग्रेज सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरादिता सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरप्रीत सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 4. गुरबचन सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 5. जसवंत सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 6. सुखा सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 7. सरबन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 8. सर्वजीत कौर पत्नी अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 9. हरप्रीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 10. बावू कौर पुत्री अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—30.09.2022

उपस्थित: 1.श्री गुरदेव सिंह, गुरदयाल सिंह मल्ली अधिवक्ता प्रार्थीगण

—निर्णय—　　　　दिनांक : 06.02.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 3 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 3/4 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, 42, 43, 56/38, 56/39 की कुल 6.007 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 73/70 के मुरब्बा नम्बर 2, 21, 46, 56/37 की कुल 8.750 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 90/22 के मुरब्बा नम्बर 20, 21 की कुल 1.012 हेक्टैयर भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का कई वर्षो पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य घरू सहमति से बंटवारा हो चुका है। घरू बंटवारा अनुसार प्रार्थी महेन्द्र सिंह को मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 व प्रार्थी अमरजीत सिंह को 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 प्राप्त हुए है। जिस पर प्रार्थीगण पिछले 40 वर्षो से आज तक काश्त करते चले आ रहे है। घरू बंटवारा के वक्त प्रार्थीगण को सहकाश्तकारों के [illegible] मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 5 में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में उतरी डोली के [illegible] 0.019 हेक्टैयर रास्ता व किला नम्बर 5 की पश्चिम डोली के साथ 0.019 हेक्टैयर [illegible] व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 ता 3 में पूर्व दिशा [illegible] 0.019 हेक्टैयर रास्ता दिया गया था। जो आज भी मौके पर चालू है। परन्तु [illegible] चालू रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं है। परन्तु प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण इसी रास्ता से अपने-अपने हिस्सा की कृषि भूमि में आते-जाते है। मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 21 का किला नम्बर 1 सहमति घरू बंटवारा में अप्रार्थी सरबन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:31:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

हिस्सा में आया है। जिसे सरबन सिंह ही काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी सरबन सिंह कुछ दिन पहले प्रार्थीगण का धमकी दी है कि वह मुरब्बा नम्बर 20, 21 में चालू रास्ता को बन्द कर प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त की भूमि में नहीं आने-जाने देगा। अप्रार्थी सरबन सिंह मौका पर चालू रास्ता का बन्द करने की धमकिया देता आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर निवेदन है कि चक 3 एफ सी के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 5 में पूर्व से पश्चिम दिशा में उतरी डोली के साथ-साथ व किला नम्बर 1 में उतर से दक्षिण दिशा में 0.019 हेक्टैयर व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 ता 3 में उतरी डोली के साथ-साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में 0.019 हेक्टैयर रास्ता स्वीकृत करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 सरबन सिंह के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अर्ज किया कि महेन्द्र सिंह के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 व प्रार्थी अमरजीत सिंह के कब्जा काश्त में 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 में है। अप्रार्थी सरबन सिंह के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 पर है। उक्त भूमि पर 40 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी सरबन सिंह के कब्जा काश्त की मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 में मौका पर रास्ता चालू है। उक्त रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है। तो अप्रार्थी को काई एतराज नहीं है। प्रार्थी अमरजीत सिंह, महेन्द्र सिंह व अप्रार्थी सरबन सिंह के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा अनुसार पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मुताबिक अगर रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो हम दोनों पक्षकारों को कोई एतराज नहीं है।

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा अपने पत्रांक 02 दिनांक 02.01.2023 के साथ मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक जोरावरसिंहपुरा, फर्द मौका मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका द्वारा चक 3 एफसी के मुरब्बा नम्बर 20 व 21 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया गया कि मौके पर मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 5 एंव मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 में सरवन सिंह पुत्र गुरदेव सिह एंव मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 2, 3 में अमरजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा चक 1 एफ सी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 व प्रार्थी अमरजीत सिंह के कब्जा काश्त में 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 भूमि हेतु अप्रार्थी सरवन सिंह के कब्जा काश्त मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 5 में पूर्व से पश्चिम दिशा में उतरी डोली के साथ-साथ व किला नम्बर 1 में उतर से दक्षिण दिशा में 0.019 हेक्टैयर व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 ता 3 में उतरी डोली के साथ-साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में 0.019 हेक्टैयर रास्ता चाहा गया है, जो निकटतम व उपयुक्त है। उक्त भूमि को कहीं से भी [illegible] नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यातिंक आवश्यकता है। यह केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:31:28 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, राजीनामा, शपथ पत्र व तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा चक 3 एफ सी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 व प्रार्थी अमरजीत सिंह के कब्जा काश्त में 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 भूमि तक पहुचने के लिए रास्ते की मांग की गई है। उक्त रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। यह प्रार्थीगण की आत्यतिंक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण का स्वीकार करने योग्य है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 5 में पूर्व से पश्चिम दिशा में उतरी डोली के साथ-साथ व किला नम्बर 1 में पश्चिम मेड के साथ उतर से दक्षिण दिशा के साथ-साथ प्रत्येक में 0.019 हेक्टैयर व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 ता 3 में उतरी डोली के साथ-साथ पूर्व से पश्चिम दिशा के साथ-साथ प्रत्येक में 0.019 हेक्टैयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:31:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं0:– 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2023/57
तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

दिनांक :-06.02.2023

विषयः– प्रकरण संख्या 08/2022 अनवान अमरजीत सिंह आदि बनाम अंग्रेज सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 03.02.2023 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय नांक 03.02.2023 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान श्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 3 एफ ी तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 ता 5 में पूर्व से श्चिम दिशा में उतरी डोली के साथ-साथ व किला नम्बर 1 में पश्चिम मेड के साथ तर से दक्षिण दिशा के साथ-साथ प्रत्येक में 0.019 हेक्टैयर व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 ता 3 में उतरी डोली के साथ-साथ पूर्व से पश्चिम दिशा के साथ-साथ त्येक में 0.019 हेक्टैयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। हसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व कॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध ाए जाए तो उन्हें हटाये।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:31:28 IST
Reason: SelfAttested